



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 752 राँची, मंगलवार 28 अग्रहायण, 1945 (श०)
19 दिसम्बर, 2023 (ई०)

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा निदेशालय)

संकल्प

10 मई, 2023

विषय:- विभागान्तर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में शिक्षण कार्यों को सुचारु रूप से संचालन करने हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापक/ व्याख्याता के मानदेय बढ़ोतरी तथा Guest Faculty की सेवा प्राप्त करने के संबंध में ।

संख्या-वि०प्रा०-22/01-02-543--राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने एवं सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio; GER) दर में वृद्धि के लिए राज्य सरकार के संकल्प संख्या-2890, दिनांक 11.12.2015 द्वारा राज्य के विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में शिक्षण कार्यों को सुचारु रूप से संचालन करने हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत अंशकालीन (Need Based) शिक्षकों यथा-सहायक प्राध्यापकों/व्याख्याताओं की सेवा संस्थान के प्रधान की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर प्राप्त की जा रही है ।

उक्त शिक्षकों द्वारा संस्थान के छात्रों का वर्ग कार्य कराए जा सकने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) द्वारा निर्धारित अर्हता के आलोक में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों तथा राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याताओं का चयन कर सेवा में रखा गया है। ऐसे शिक्षकों यथा - राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों को प्रति घंटी 500/- रु० की दर से एवं अधिकतम 30,000/- रु० तथा राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याताओं को प्रति घंटी 400/- रु० की दर से अधिकतम 24,000/- रु० प्रतिमाह भुगतान किए जाने का प्रावधान है। अंशकालीन शिक्षकों के द्वारा मासिक मानदेय में वृद्धि करने तथा न्यूनतम Classes की संख्या निर्धारित करने का अनुरोध किया जाता रहा है। अन्य राज्यों यथा - बिहार में अतिथि / अंशकालीन शिक्षकों का मानदेय प्रति व्याख्यान 1500/- रु० मात्र एवं प्रतिमाह अधिकतम रु० 50,000/- मानदेय निर्धारित किया गया है। हरियाणा राज्य के द्वारा Contractual/Guest शिक्षकों का मानदेय नियमित सहायक प्राध्यापकों के Basic Pay के समतुल्य रु० 57,700/- रु० प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

2. उपरोक्त के आलोक में विभाग के द्वारा सम्यक विचारोपरांत तथा वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-2890 दिनांक-11.12.2015 में निम्न संशोधन किया जाता है:-

- i. राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षकों को AICTE द्वारा निर्धारित पोलिटेकनिक संस्थानों के व्याख्याताओं के Basic Salary रु० 56,100 /- प्रतिमाह के समतुल्य मानदेय निर्धारित किया जाता है।
- ii. अभियंत्रण महाविद्यालयों में आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षकों को AICTE द्वारा निर्धारित अभियंत्रण महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक के Basic Salary रु० 57,700/- प्रतिमाह के समतुल्य मानदेय निर्धारित किया जाता है।
- iii. आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षकों को पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रति सप्ताह औसतन 18 Classes तथा अभियंत्रण महाविद्यालयों प्रति सप्ताह औसतन 16 Classes लेना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना प्रतिमाह की जाएगी। संस्थान के निदेशक/प्राचार्य की जिम्मेवारी होगी कि आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षकों को 18/16 Classes (जो भी लागू हो) प्रति सप्ताह के अनुसार अनिवार्य रूप से Classes आवंटित किया जाए। संस्थान की समय सारणी इसी अनुसार बनाया जाएगा।
- iv. यदि आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षकों के द्वारा उन्हें आवंटित Classes से कम Class लिया जाता है, तो उनके द्वारा लिए गये कुल Classes के अनुपात में मासिक मानदेय राशि के भुगतान में निम्नवत कटौती किया जाएगा
 - (a) पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रति Class रु० 780/- की कटौती की जायेगी।
 - (b) अभियंत्रण महाविद्यालयों में प्रति Class रु० 900/- की कटौती की जायेगी।

- v. आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षकों के लिए Classes की गणना निम्नवत की जाएगी-
- (a) One Teaching Class = 1 Hour
- (b) One Non-teaching Class = 2 Hours
- Non-teaching Classes में कर्मशाला, प्रयोगशाला, Invigilation (Internal Examination), Sessional कार्य, Tutorial Class, Remedial Class तथा संस्थान के अन्य गैर-शैक्षणिक कार्य जैसे NBA, NAAC, AISHE, AICTE इत्यादि से संबंधित कार्यों में इनकी सहभागिता के आधार पर मासिक मानदेय देय होगा।
- vi. ग्रीष्मावकाश एवं अन्य Vacations के दौरान नियमित कक्षाएँ स्थगित रहती हैं, अतः इस अवधि में उपर्युक्त गैर-शैक्षणिक कार्य कराया जायेगा तथा तदनुसार मानदेय देय होगा। निदेशक/प्राचार्य सुनिश्चित करेंगे कि ग्रीष्मावकाश एवं अन्य Vacations के दौरान भी आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षकों को प्रति सप्ताह 16/18 Classes (जो भी लागू हो) के लिए उपयुक्त गैर-शैक्षणिक कार्य लिया जाएगा। गैर-शैक्षणिक कार्य के लिए भी समय सारणी बनायी जाएगी।
- vii. आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षक प्रत्येक माह मानदेय भुगतान से संबंधित विपत्रों को अपने संस्थान के प्रमुख को सीधे समर्पित करेंगे तथा संबंधित संस्थान के प्रमुख अपने स्तर से उक्त विपत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत होंगे।
- viii. संबंधित संस्थान के प्रमुख की यह जिम्मेवारी होगी कि आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण क्षमता के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में कर सकें। संस्थान प्रमुख सुनिश्चित करेंगे कि अन्य नियमित शिक्षकों की भाँति आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षकों को भी सम्मान मिले तथा शिक्षकों की गरिमा बरकरार रहे।
- ix. आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षकों की सेवा प्राप्त करने हेतु आवश्यक संख्या तथा शाखा की विवरणी सहित अध्यायना तकनीकी शिक्षा निदेशालय को समर्पित की जाएगी। तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षकों का चयन सृजित तथा रिक्त पदों के विरुद्ध झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा कुलसचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए की जायेगी। उक्त समिति तीन सदस्यीय होगी जिसमें संबंधित विषय के दो expert अन्य सदस्य होंगे।
- x. वर्तमान में राजकीय अभियंत्रण संस्थानों में कार्यरत अंशकालीन व्याख्याताओं के नाम को संशोधित (Rename) करते हुए आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापक कहा जायेगा तथा राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में

कार्यरत अंशकालीन व्याख्याताओं के नाम को संशोधित करते हुए (Rename) करते हुए आवश्यकता आधारित (Need Based) व्याख्याता कहा जायेगा।

- xi. सभी आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षकों का अवधि विस्तार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक तथा राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में व्याख्याताओं की नियमित/बैकलॉग नियुक्ति होने तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) मान्य होगी। यदि नियमित / बैकलॉग नियुक्ति के उपरान्त कुछ पद रिक्त रह जाते हैं तो रिक्त पदों पर किन आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षकों की सेवा बरकरार रखी जाय, के सम्बन्ध में निर्णय उनके योगदान की तिथि के क्रमानुसार किया जायेगा। जिन आवश्यकता आधारित शिक्षकों के योगदान की तिथि पहले की होगी, उन्हें वरीयता दिया जायेगा। यदि योगदान की तिथि समान (Similar) होगी तो अधिक उम्र वाले को वरीयता दिया जायेगा। यदि फिर भी deadlock हो तो अंग्रेजी में नाम के वर्ण के क्रमानुसार वरीयता निर्धारित किया जायेगा।
 - xii. संबंधित संस्थान के प्रमुख इन आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षकों के द्वारा किये जा रहे शैक्षणिक कार्यों का सतत अनुश्रवण करेंगे एवं शिक्षकों का AICTE द्वारा निर्धारित Student's Feedback Form के अनुसार शैक्षणिक कार्य असंतोषजनक रहने अथवा अनुशासनहीनता की स्थिति में उक्त आवश्यकता आधारित शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई हेतु झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से अनुशंसा करेंगे। संस्थान प्रमुख की अनुशंसा के आधार पर झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा कुलसचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर जाँच करते हुए कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार उक्त आवश्यकता आधारित शिक्षक की सेवा समाप्त की जा सकती है, जिसके सम्बन्ध में समिति की अनुशंसा के आलोक में अंतिम निर्णय कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा लिया जायेगा।
3. उपर्युक्त संशोधन संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
 4. मानदेय की राशि बजट मद मुख्य शीर्ष-2203 तकनीकी शिक्षा / लघु शीर्ष-112- इंजिनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान / उप शीर्ष-AN- डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/ तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण/विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते की इकाई 09-मानदेय से विकलनीय होगा।
 5. Guest Faculty:
 - 5.1) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण प्रदान करने के दृष्टिकोण से Guest Faculty की सेवा प्राप्त की जाएगी।

इसके लिए UGC के पत्रांक-F.25-1/2018 (PS/MISC) dated 28th January, 2019 के दिशा निर्देश का अनुपालन किया जायेगा ।

5.2) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के Guest Faculty के समतुल्य अर्हता प्राप्त Guest Faculty की सेवा राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में भी प्राप्त की जायेगी ।

6. विभागीय संकल्प संख्या- 2890 दिनांक- 11.12.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-27.04.2023 में मद संख्या-01 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

अनुलग्नक : यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के सचिव ।
